आर टी आई मामला/समयबद्ध

सं. ए-43020/55/2014-आर टी आई
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक: 2 जुलाई, 2014

आदेश

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रथम अपील।

जबकि श्री अशोक कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपने दिनांक 02.12.2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में दिनांक 11.12.2013 को प्राप्त) के तहत इस मंत्रालय से विभिन्न विषयों पर सूचना मांगी थी।

2. जबकि विभिन्न बिन्दुओं पर मांगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के तहत निर्दिष्ट 'सूचना' की परिभाषा के दायरे के अंतर्गत नहीं आती थी और यह कि कुछ बिन्दुओं पर मांगी गई सूचना विभिन्न लोक प्राधिकरणों के बीच फैली हुई थी। तदनुसार केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने अपने दिनांक 28.01.2014 के उत्तर के तहत आवेदक को इसकी सूचना दी थी।

3. जबकि श्री अशोक कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अंतर्गत अपनी दिनांक रहित प्रथम अपील (दिनांक 27.03.2014 को प्राप्त) प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का यह उत्तर कि सूचना विभिन्न लोक प्राधिकरणों के बीच फैली हुई है, कानूनी नहीं है।

4. जबकि अपीलकर्ता को यह सूचित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी केवल वही सूचना उपलब्ध कराने (आवेदक को) के लिए बाध्य है जो रिकॉर्डों में मौजूद है तथा उक्त लोक प्राधिकारी के पास/नियंत्रणाधीन है। तदनुसार केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया उत्तर सही था। तथापि, आवेदन के संबंध में बिन्दु-वार उत्तर निम्नानुसार है:

क्र. सं.	मांगी गई सूचना का सार	टिप्पणी
1.	पिछले 5 वर्ष के दौरान विभिन्न अपराधों का जिला-वार और राज्य-वार ब्यौरा	उपलब्ध सूचना मुहैया कराने के लिए आवेदन राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो को अंतरित किया जा रहा है।
2.	गृह मंत्रालय के बजट संबंधी विवरण	आवेदन इस मंत्रालय के वित्त प्रभाग को अग्रेषित किया जा रहा है।
3 (i)	सरकारी आवास में रह रहे केन्द्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी	उपलब्ध सूचना मुहैया कराने के लिए आवेदन शहरी विकास मंत्रालय को अंतरित किया जा रहा है।
(ii)	सभी पुलिस थानों की साफ-सफाई/रखरखाव पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा किया गया व्यय	यह सूचना विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस के बीच फैली हुई है। तथापि आवेदन दिल्ली पुलिस को अंतरित किया जा रहा है जिससे कि उपलब्ध सूचना मुहैया कराई जा सके।
(iii)	केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा पुलिस अधिकारियों के गश्त संबंधी भत्तों पर किया गया व्यय	-तदैव-

4.	पुलिस थानों में दर्ज मामलों का राज्य-वार ब्यौरा	उपलब्ध सूचना मुहैया कराने के लिए आवेदन राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो को अंतरित किया जा रहा है।
5.	भारत में पुलिस कार्मिकों की कमी और वह तारीख जब तक रिक्तियां भर ली जाएंगी	आवेदन इस मंत्रालय के पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग को अग्रेषित किया जा रहा है।
6.	गांव की सभाओं में पुलिस कार्मिकों द्वारा रिश्वत लेने के बारे में गपशप किया जाना	इस मंत्रालय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।
7.	भारत में पुलिस कार्मिकों की दैनिक ड्यूटी समय-सारणी	यह सूचना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच फैली है क्योंकि पुलिस राज्य का विषय है।
8.	पुलिस कांस्टेबल/निरीक्षक के उत्तरदायित्वों के बारे में राज्य-वार सूचना	उपलब्ध सूचना मुहैया कराने के लिए आवेदन राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो और पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग को अंतरित किया जा रहा है।
9.	पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण पर केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किया गया व्यय	उपलब्ध सूचना मुहैया कराने के लिए आवेदन पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग को अग्रेषित किया जा रहा है।
10.	साक्ष्य को एकत्र करने के कारण न्याय में देरी	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के विचार/दृष्टिकोण/कानूनी व्याख्या मांगने से संबंधित प्रश्न सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के दायरे के अंतर्गत नहीं आते हैं।
11.	क्या पुलिस कार्मिक राजैनतिक दबाव के अंतर्गत काम कर रहे हैं या नहीं	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के विचार/दृष्टिकोण/कानूनी व्याख्या मांगने के लिए काल्पनिक परिस्थितियों से संबंधित प्रश्न सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के दायरे के अंतर्गत नहीं आते हैं।
12.	संसद सदस्यों से संबंधित आचार-संहिता	उपलब्ध सूचना मुहैया कराने के लिए आवेदन केन्द्र-राज्य प्रभाग को अग्रेषित किया जा रहा है।
13.	गौ-हत्या पर प्रतिबंध	इस मंत्रालय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। यह सूचना देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैली है।

3. इस प्रकार अपीलकर्ता की अपील का निपटान किया जाता है। अपील पर कार्रवाई करने में हुए अनावश्यक विलंब के लिए गहरा खेद व्यक्त किया जाता है।

(सतपाल चौहान)
संयुक्त सचिव एवं अपील प्राधिकारी
दूरभाष:23093178

सेवा में

श्री अशोक कुमार,
मकान नं. 960, वार्ड सं. 9 ई
दूरदर्शन केन्द्र के निकट
जिला देवरिया - 274 001
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि, आवेदन की प्रति सहित निम्नलिखित को प्रेषित:

1. निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, ईस्ट ब्लॉक-7, आर. के. पुरम, नई दिल्ली (बिंदु सं. 1, 4 और 8 के लिए)।
2. पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आई. पी. इस्टेट, नई दिल्ली (बिंदु सं. 3 (ii) और (iii) के लिए)।
3. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली (बिंदु सं. 3 (i) के लिए)।
4. निदेशक (सी एस-II), गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-II भवन, नई दिल्ली (बिंदु सं. 12 के लिए)।
5. निदेशक (वित्त-गृह), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (बिंदु सं. 2 के लिए)।
6. निदेशक (पी एम आर), गृह मंत्रालय, जैसलमेर हाउस, 26 मान सिंह रोड, नई दिल्ली (बिंदु सं. 5, 8 और 9 के लिए)।
7. अनुभाग अधिकारी (आई टी सैल), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को शीर्षक - सूचना का अधिकार, अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के अंतर्गत सूचना के अंतर्गत मुख्य शब्दों पर आधारित खोज की सुविधा के साथ गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर आर टी आई आवेदन, अपील और उत्तर अपलोड करने के लिए।

(सतपाल चौहान)
संयुक्त सचिव एवं अपील प्राधिकारी